



कार्यालय, परियोजना निदेशक आत्मा, जामताड़ा।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

e-Mail Id-atmajmt@gmail.com

(किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना)

“पहले आओ पहले पाओ के आधार पर”

वित्तीय वर्ष 2024-25 में Targeting Rice Fallow Area (TRFA)- Oilseed योजनान्तर्गत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र एवं उपादान वितरण के लिए कृषकों से आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना:-

जामताड़ा जिले के कृषकों को सूचित किया जाता है कि कृषि कार्य को बढ़ावा देने बहु फसलीय कृषि का विकास एवं छोटे इकाई वाले क्षेत्रों के विकास के लिए सिंचाई एवं कृषि उपादान छोटे एवं सीमान्त कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/कृषक समूहों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना है जिसमें निम्नलिखित पात्रता एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है-

Targeting Rice Fallow Area (TRFA)- Oilseed

| S.No. | Item/Component | Approved rate Assistance(Rs./unit) | Phy. Target |
|-------|---|--|----------------|
| 1 | Integrated Nutrient Management | | |
| | (i) Micro nutrients | Rs. 500/ha | 58 |
| | (ii) Gypsum | Rs. 750/ha | 20 |
| | (iii) Lime | Rs. 750 /ha | 10 |
| | (iv) Bio- fertilizer | Rs. 500/ha | 10 |
| | (v) Bio - Pesticides | Rs. 500/ha | 15 |
| | Total (III) | | 113.182 |
| 2 | (i) Sprinklers sets | The cost for sprinkler irrigation system for 1 ha would be Rs. 21901 /- per ha in case of rain-gun depending on diameter of pipe used as per guideline under PMKSY | 1 |
| | (ii) Water carrying Pipes | 50% of the cost limited to Rs.50/- per meter for HDPE pipes Rs. 35/per meter for PVC pipes and Rs. 20/per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes | 550 |
| 3 | Farm Machinery | | |
| | (i) Manual Sprayer/ Knap sack sprayer/foot operated sprayer | Rs. 600/-or 40% for Gen. | 1 |
| | Manual Sprayer/ Knap sack sprayer/foot operated sprayer | Rs. 750/- or 50% for SC/ ST/ Small and marginal Farmers | 2 |
| | (ii) Power operated sprayer (Capacity 12-16 litres) | Rs. 3000/-or 40% for Gen. | 2 |
| | Power operated sprayer (Capacity 12-16 litres) | Rs. 3800/- or 50% for SC/ ST/ Small and marginal Farmers | 5 |
| | (iii) Tractor drawn implements Rotavators (Above 35 BHP - 5 feet) | Rs. 34000/-or 40% for Gen. | 0 |
| | Tractor drawn implements Rotavators (Above 35 BHP - 5 feet) | Rs. 42000/- or 50% for SC/ ST/ Small and marginal Farmers | 1 |

आवेदन पत्र जमा करने हेतु आवश्यक निदेश:-

- आवेदन पत्र पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक एवं त्रिस्तरीय जन प्रतिनिधि की अनुशंसा अनिवार्य होगा।
- इस योजना का लाभ वैसे किसान ले सकेंगे जो पिछले तीन वर्षों में सरकारी किसी भी संस्थान से कृषि यंत्र का लाभ न लिया हो।
- पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक-14.12.2024 तक कार्यदिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक स्वीकार किये जा सकेंगे। 14.12.2024 के पश्चात किसी भी परिस्थित में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- विहित प्रपत्र Website- <https://jamtara.nic.in/> या <https://www.atmajamtara.org.in/> प्राप्त किया जा सकता है।
- Targeting Rice Fallow Area (TRFA)- Oilseed अन्तर्गत राज्य स्तर से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत अनुदान की राशि DBT के माध्यम से लाभुक/लाभुक द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार में संबंधित कम्पनी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।
- अनुदानित दर पर Input लेने वाले कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि यंत्र वितरण किया जाएगा।
- आवेदन के साथ आधार कार्ड, जमीन रसीद, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, संलग्न किया जाएगा।
- विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक से सम्पर्क किया जा सकता है।
- आवंटित प्रखण्डवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पहले आओ पहले पाओ के अनुसार इन्पुट एवं कृषि यंत्र का वितरण किया जायेगा।
- अनुदानित दर पर इन्पुट एवं कृषि यंत्र के वितरण में FPOs/JSLPS/जलछाजन के सदस्यों/कृषकों को प्राथमिकता दी जायगी। कार्यालय का पता-परियोजना निदेशक आत्मा, जामताड़ा, संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, सर्खलडीह, जामताड़ा।

जिला कृषि पदाधिकारी सह
परियोजना निदेशक, आत्मा, जामताड़ा।



कार्यालय, परियोजना निदेशक आत्मा, जामताड़ा।
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
e-Mail Id-atmajmt@gmail.com
(किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना)

“पहले आओ पहले पाओ के आधार पर”

वित्तीय वर्ष 2024-25 में Targeting Rice Fallow Area (TRFA)- Pulses योजनान्तर्गत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र एवं उपादान वितरण के लिए कृषकों से आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना:-

जामताड़ा जिले के कृषकों को सूचित किया जाता है कि कृषि कार्य को बढ़ावा देने बहु फसलीय कृषि का विकास एवं छोटे इकाई वाले क्षेत्रों के विकास के लिए सिंचाई एवं कृषि उपादान छोटे एवं सीमान्त कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/कृषक समूहों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना है जिसमें निम्नलिखित पात्रता एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है-

Targeting Rice Fallow Area (TRFA)- Pulses

| S.No. | Item/Component | Approved rate Assistance(Rs./unit) | Phy. Target |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| 1 | Plant & Soil Protection Management | | |
| | Micro nutrients | Rs. 500/ha | 210 |
| | Gypsum | Rs. 750/ha | 135 |
| | Lime | Rs. 1000 /ha | 130 |
| | Bio- fertilizer | Rs. 300/ha | 115 |
| | PP Chemical/ bio agents | Rs. 500/ha | 105 |
| | Total Soil & Plant Protection Management | | 695 |
| 2 | (i) Manual Sprayer (SC/ST/ Small & Marginal farmers/women farmers) | 50% or Rs.750/- | 2 |
| | Manual Sprayer (for Other farmers) | 40% or Rs. 600/- | 1 |
| | (ii) Power Knapsac sprayer (SC/ST/Small & Marginal farmers/ women farmers) (8-12 litres) | 50% or Rs. 3100/- | 10 |
| | Power Knapsac sprayer (for Other farmers) (8-12 litres) | 40% or Rs. 2500/- | 5 |
| | (iii) Rotavator (SC/ST/Small & Marginal farmers/ women farmers) (Tractor driven above 35 BHP) -5 feet | 50% or Rs. 42000/- | 5 |
| | (iv) Rotavator for Other farmers (Tractor driven above 35 BHP) -5 feet | 40% or Rs. 34000/- | 2 |
| | Sub Total Farm Implements (a) | | 25 |
| 3 | Efficient Water Application Tools: | | |
| (i) Pump sets | Rs. 10000/ Unit or 50% of cost whichever is less | 10 | |
| (ii) Water carrying pipes (HDPE pipe) | 50% of the cost limited to Rs. 50/- per meter for HDPE pipe with maximum ceiling of Rs. 15,000/- per farmer/ beneficiary for water carrying pipe | 1160 | |

आवेदन पत्र जमा करने हेतु आवश्यक निदेश:-

- आवेदन पत्र पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक एवं त्रिस्तरीय जन प्रतिनिधि की अनुशंसा अनिवार्य होगा।
- इस योजना का लाभ वैसे किसान ले सकेंगे जो पिछले तीन वर्षों में सरकारी किसी भी संस्थान से कृषि यंत्र का लाभ न लिया हो।
- पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक-14.12.2024 तक कार्यदिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक स्वीकार किये जा सकेंगे। 14.12.2024 के पश्चात किसी भी परिस्थित में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- विहित प्रपत्र <https://www.atmajamtara.org.in/> प्राप्त किया जा सकता है।
- Targeting Rice Fallow Area (TRFA)- Pulses अन्तर्गत राज्य स्तर से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत अनुदान की राशि DBT के माध्यम से लाभुक/लाभुक द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार में संबंधित कम्पनी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।
- अनुदानित दर पर Input लेने वाले कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि यंत्र वितरण किया जाएगा।
- आवेदन के साथ आधार कार्ड, जमीन रसीद, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, संलग्न किया जाएगा।
- विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक से सम्पर्क किया जा सकता है।
- आवंटित प्रखण्डवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पहले आओ पहले पाओ के अनुसार इन्पुट एवं कृषि यंत्र का वितरण किया जायेगा।
- अनुदानित दर पर इन्पुट एवं कृषि यंत्र के वितरण में FPOs/JSLPS/जलछाजन के सदस्यों/कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
कार्यालय का पता-परियोजना निदेशक आत्मा, जामताड़ा, संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, सर्खलडीह, जामताड़ा।

जिला कृषि पदाधिकारी सह
परियोजना निदेशक, आत्मा, जामताड़ा।